OA-204/2024/EZ

COPY OF ORDER & petition in Original Application No. 954/2024

न्यायिक अनुभाग Judicial Section <judicial-ngt@gov.in>
Mon, 23 Sep 2024 11:08:14 AM +0530

To "Sh. RAJA CHATTERJEE Registrar" <registrarngt-kolkata@gov.in>, "National Green Tribunal, Eastern Zone Bench, Kolkata" <ngtjudicial-kolkata@gov.in>

Respected Sir/Madam,

I am directed to forward a copy of the **Order dated 12/09/2024 passed in Original Application No. 954/2024 Binu Kumar Mehto ...Applicant Versus State of Jharkhand ... Respondent.** for your kind perusal & necessary action.

भवदीय / Regards
परामर्शदाता (न्यायिक) / Consultant (Judicial)
राष्ट्रीय हरित अधिकरण / National Green Tribunal
प्रधान न्यायपीठ / Principal Bench
नई दिल्ली / New Delhi - 110001

2 Attachment(s) • Download as Zip • Add To ›

Binu Kumar Mehto.pdf
125.6 KB •

OA NO 954 of 2024 in LP N... .pdf
1.2 MB •

बिनू कुमार महतो युवा टाइगर
पूर्व प्रत्याशी
रामगढ़ विधानसभा

आवास :–
ग्राम–रायपुरा, पो0+पं0–पूरबडीह
थाना–गोला, जिला–रामगढ़
(झारखण्ड)
मो0–9931510179, 9470139039
Email : binukumarmahtoyuvatiger@gmail.com

3

2596/LP/2023
08/12/23

पत्रांक..89/BKMYT/23   दिनांक..4/12/23.........

NATIONAL GREEN TRIBUNAL
Principal Bench, New Delhi
Receipt & Issue Branch
Received
06 DEC 2023
Dairy No. 5588
Signature.......

E2B

सेवा में,

राष्ट्रीय हरित अधिकरण,

नई दिल्ली।

विषय–बी.एम.एल. कमता, आई.पी.एल. टोनागातु, कामेश्वर एलाइज कुसुमडीह, माँ अम्बे एलाइज प्लांट कुसुमडीह, मेसर्स गोला मिनरल इंडस्ट्रीज तोयर, वनांचल कॉन्वेन्ट प्रा0 लि0 बनतारा गोला के द्वारा हो रहे प्रदुषण के संबंध में।

महाशय,

गोला प्रखण्ड क्षेत्र में विभिन्न फैक्ट्रियों से निकलता जहरीला धुँआ वातावरण को प्रदुषित कर रहा है। गोला प्रखण्ड कृषि प्रधान क्षेत्र के रूप से जाना जाता है। पिछले 15–16 वर्षो से विकासशील प्रखण्ड के तौर पर अपने आप को अग्रसर है। लेकिन विभिन्न फैक्ट्रियाँ प्रदुषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संतुलन को ताख पर रखकर इस क्षेत्र को दूषित करने का कार्य कर रही है। गोला प्रखण्ड क्षेत्र में मुख्यतः फैक्ट्रियाँ ब्रम्हापुत्रा मेटालिक्स लिमिटेड कमता, इनलैण्ड पावर लिमिटेड टोनागातु, मेसर्स गोला मिनरल इंडस्ट्रीज तोयर, वनांचल कॉन्वेन्ट प्रा0 लि0 बनतारा गोला तथा रजरप्पा रोड के कुसुमडीह स्थित कामेश्वर एलाइज से लगातार जहरीले धुँआ करीब 100 मीटर की दूरी पर स्थित विद्यालय में अध्यनरत नौनिहालों को बीमार की आगोश में ले रहा है। इसकी ताजा उदाहरण सांस के मरीजों की संख्या में लगातार बृद्धि हो रही है। इसी तरह वन विभाग द्वारा लगभग 100–150 मीटर की दूरी में पौधारोपण की कार्य किया गया है। जो जहरीले धुएँ की भेंट चढ़ रही है। यह फैक्ट्रियाँ धनी आबादी वाले क्षेत्र में होने के कारण मानव जीवन को ही नही इसके अलावे पेड़–पौधों तथा खेती युक्त जमीन नष्ट एवं बंजर हो रही है। धनी आबादी वाले क्षेत्र होने के कारण इसका स्पष्ट नजारा यहाँ के कुएँ तालाब पानी की उडता राख (फलाई रेश) की माटी परत के रूप में स्पष्ट दिखाई देती है। जो मानव जीवन जीव–जन्तु पेड़ पौधा एवं पैदावार पर प्रतिकुल असर डालता है। साथ ही मनुष्य ही नही मवेशियों को भी नुकसान पहुँचा रहा है। और जहाँ–तहाँ छाय (डस्ट) को फेंक दिया जाता है। जिससे टी.बी., कैंसर, नपुंसकता, विकलांगता एवं जल प्रदुषण, वायु प्रदुषण, ध्वनी प्रदुषण के चपेट में आ जाते है। फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा मोटी रकम देकर प्रदुषित क्षेत्रों को लुटने की काम एवं

06-12-2023
L.P.

P.T.O.

बिनू कुमार महतो युवा टाइगर
पूर्व प्रत्याशी
रामगढ़ विधानसभा

(4)
आवास :–
ग्राम–रायपुरा, पो0+पं0–पूरबडीह
थाना–गोला, जिला–रामगढ़
(झारखण्ड)
मो0–9931510179, 9470139039
Email : binukumarmahtoyuvatiger@gmail.com

खुलेआम चुनौती देकर जनता की आवाजं को दबाने का काम किया जा रहा है। साथ ही सरकार के द्वारा सुरक्षा मानक का भी पालन नही किया जा रहा है।

अतः श्रीमान् उपायुक्त महोदय से अनुरोध है कि गोला प्रखण्ड की जनताओं को हो रहे प्रदुषण से मुक्त चाहिए और साथ ही इसके निष्पक्षता पूर्वक जाँच कर देखा जा सकता है। ग्रामीण जनताओं को न्याय मिल सके। प्रबंधक के ऊपर ठोस कानूनी कार्यवाई की जाए। इस कार्य के लिए श्रीमान् का सदा आभारी बने रहेंगे।

संलग्नः–

1. बी.एम.एल. कमता, आई.पी.एल. टोनागातु, एवं मेसर्स गोला मिनरल इंडस्ट्रीज तोयर की उपायुक्त, अनु0 पदा0, पु0 अधीक्षक रामगढ़, थाना प्रभारी गोला को आवेदन की छायाप्रति।
2. सभी प्रेसो में छपी पेपर की छायाप्रति।
3. कामेश्वर एलाइज फैक्ट्री के गेट के सामने प्रदुषण के खिलाफ छात्रों द्वारा विरोध करते हुए पेपर की छायाप्रति।
4. सभी फैक्ट्रियों से निकलता प्रदुषण की फोटो की छायाप्रति।

भवदीय

Binu Kumar Mahto
Yuva Tiger

(5)

सेवा में,

श्रीमान् उपायुक्त महोदय

रामगढ़।

विषय– बी.एम.एल कमता एवं आई.पी.एल टोनागातु के गोला द्वारा हो रहे प्रदुषण के संबंध में।

महाशय,

गोला प्रखण्ड के अन्तर्गत ब्रम्हपुत्रा मेटालिक प्रा0 लिमिटेड कम्पनी कमता एवं आईपीएल टोनागातु के द्वारा प्रखण्ड क्षेत्र मे आधी आबादी प्रदुषण के चपेट में पुर्ण रूप से आ चुकी है। जिससे तरह–तरह के संक्रमित बिमारियां फैल रही है, और जहां–तहां छाय (डस्ट) को फेंक दिया जाता है। जैसे टी.वी, कैंसर, नपुसंकता, विकलांगता एवं जल प्रदुषण, वायु प्रदुषण, ध्वनी प्रदुषण एवं पेड–पौधे, फसल योग भूमि प्रदुषण के चपेट में आ चुकी है। जिसका ताजा उदाहरण जाँच कर देखा जा सकता है। बी.एम.एल फैक्ट्री प्रबंधक एवं आईपीएल फैक्ट्री प्रबंधक के द्वारा मोटी रकम देकर प्रदुषित क्षेत्रों को लुटने का काम एवं खुलेआम चुनौती देकर जनता की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। साथ ही सरकार के द्वारा सुरक्षा मानक का भी पालन नही किया जा रहा है।

अतः श्रीमान् उपायुक्त महोदय से अनुरोध है कि गोला प्रखण्ड की जनताओं को हो रहे प्रदुषण से मुक्त चाहिए और साथ ही इसके निष्पक्षता पुर्वक जाँच कर देखा जाय। ताकि हम सब ग्रामिण जनता को न्याय मिल सके। वह प्रबंधक के उपर ठोस कानुनी कार्रवाई की जाय। इस कार्य के लिए हम सभी गोला प्रखण्ड के सभी ग्रामिण जनता आपका सदा–सदा आभारी बने रहेंगें।

उपायुक्त का कार्यालय
प्राप्ति
2 9 12012
हस्ताक्षर
रामगढ़

आपका विश्वासभाजक

गोला प्रखण्ड के सभी

ग्रामिण जनता का हस्ताक्षर

वार्ड सदस्य
वार्ड संख्या-04
ग्राम पंचायत-पुरबडीह
प्रखण्ड-गोला, जिला-रामगढ़

सुमित्रा देवी

Binu Kumar Mahto
Village – Kaipura
7931910179
9470139030

मुखिया
ग्राम पंचायत- पुरबडीह
प्रखण्ड- गोला, जिला- रामगढ़

(6)

सेवा में,
उपायुक्त महोदय, रामगढ़

विषय:- मेसर्स गोला मिनरल्स इन्डस्ट्रीज से प्रदूषण के कारण मृत्यु तथा अवैध रूप से बालू का स्टॉक करने के सम्बन्ध में,

महाशय,

उपरोक्त लिखित विषय के आलोक में सूचित करते हुए कहना है कि ग्राम
गोला NH23 सड़क [illegible] फैक्ट्री मेसर्स [illegible] मिनरल्स इन्डस्ट्रीज के नाम से चल
रहा है जिसके [illegible] तथा प्रबन्धक [illegible] प्रकाश [illegible]
है इनका निवास स्थान गोला है इस फैक्ट्री में प्रति दिन नदी से [illegible]
वाले ट्रेक्टर द्वारा बालू का स्टॉक किया जा रहा है फैक्ट्री के अन्दर लग-
भग 50 ट्रेक्टर से ज्यादा अवैध बालू स्टॉक किया जाता है इस बालू को
Quartz Stone (सफेद पत्थर) और कई तरह के पत्थर के साथ मिला कर
पीसा जाता है और इससे जो [illegible] डस्ट प्रति दिन हवा में उड़ कर पूरे गोला
एवं प्रखण्ड को दूषित कर रहा है यह डस्ट इतना जहरीला है कि यहाँ के मजदूर
महिला पुरुष बच्चे बूढ़े और गाय बकरी मुर्गा आदी सभी जीव जन्तु को
स्वांस सम्बन्धित बिमारी हो रही है और इस गाँव पंचायत के सैकड़ो
मजदूरों की मृत्यु हो चुकी है वर्तमान समय में कुछ मजदूर तथा ग्रामीण स्वांस
सम्बन्धित बिमारी से ग्रसित हैं जिनका इलाज चल रहा है फैक्ट्री के जिले
प्रदुषण के कारण मृतक के परिजन एवं बिमार व्यक्तियों को प्रबन्धक द्वारा किसी
प्रकार का मुआवजा तथा दवा भी नहीं दिया जाता है जब यहाँ के मजदूरों एवं
ग्रामीणों को यह जानकारी हुई कि Quartz stone के इस जहरीले प्रदुषण (डस्ट)
के कारण ही स्वांस सम्बन्धित बिमारी हो रही है और लोग इससे ग्रसित हो
ही मर जा रहे हैं तब से यहाँ के लोग फैक्ट्री में काम करना बन्द कर दिये।
और वर्तमान समय में फैक्ट्री प्रबन्धक द्वारा बाहर से बंगला देशी रोहंगीया
मुसलमानों को ला कर काम करवा रहे हैं। जब फैक्ट्री प्रबन्धक को इस बात की
[illegible] से पता चलता है कि मजदूर बिमार हो रहे हैं तब काम से निकाल दिया
जाता है और फिर गुंडा किस्म के रोहंगीया मुसलमानों को लाया जाता है इन
गुण्डों के द्वारा यहाँ के महिलाओं को [illegible] फैक्ट्री में काम करने के [illegible]
जाता है विरोध करने पर इन महिलाओं [illegible]
[illegible] करते हैं या फैक्ट्री प्रबन्धक के द्वारा झूठा मुकदमा [illegible]
जाता है इस फैक्ट्री से लगभग 40 मीटर की दूरी पर [illegible] विद्यालय है
यहाँ के सभी बच्चे जहरीले प्रदुषण से बिमारी के चपेट में आ रहे हैं।
फैक्ट्री से जो कचड़ा निकलता है उसे ट्रेक्टर के माध्यम से NH23 सड़क
किनारे और नदी के किनारे फेंक दिया जाता है और नदी के स्वच्छ पानी
को दूषित किया जा रहा है और यह पानी पूरे गोला प्रखण्ड में पाईप द्वारा
[illegible] इस प्रदुषण से जल, वायु मिट्टी प्रदुषित हो रही है।
[illegible] रही है। [illegible] प्रभाव देखा भी सकता है यहाँ के उपजाऊ [illegible]
यहाँ के खेतों में भी इसका प्रभाव [illegible] एवं घने आबादी रहने के बावजूद
होते जा रही है। NH23 सड़क से सटे हुये एवं घने आबादी धीरे धीरे घटते जा रहे हैं
यह फैक्ट्री कैसे चल रही है। यहाँ की आबादी धीरे धीरे घटते जा रही है अगर
समय रहते इस फैक्ट्री को बन्द नहीं किया गया तो यहाँ की जनसंख्या [illegible]
हो जायेगी। हम सब गाँव वाले बहुत परेशान हैं।

अत: आपसे नम्र निवेदन
है कि जाँच पड़ताल कर फैक्ट्री प्रबन्धक पर कानूनी कार्यवाही करने का कृपा प्रदान
करें इस कार्य हेतु हम सब ग्राम वासी सदा आपका आभारी रहेंगे।

आपका विश्वासी
[illegible]

संलग्न ① मृतकों की सूची ② कचड़ा फेंकने का फोटो।
③ उड़ता हुआ डस्ट का फोटो।
④ प्रबन्धक द्वारा दिया गया आवेदन का फोटो।
⑤ पेपर कटींग का फोटो कॉपी।
⑥ थाना प्रभारी को दिया गया आवेदन का फोटो कॉपी

उपायुक्त का कार्यालय
प्राप्ति
[illegible]

(7)

सेवा में
श्रीमान अनुमण्डलीय पदाधिकारी महोदय, रामगढ़
अनुमण्डल रामगढ़।

विषय :- मेसर्स ओला मिनरल इन्डस्ट्रीज के प्रदूषण के कारण मृत्यु तथा अवैध रूप से बालू भर कर स्टॉक करने के सम्बन्ध में,

महाशय,
उपरोक्त लिखित विषय के आलोक में सूचित करते हुवे कहना है कि ग्राम-लोयर NH23 सड़क किनारे एक फैक्ट्री मेसर्स ओला मिनरल इन्डस्ट्रीज के नाम से चल रहा है जिसका संचालन कर्ता ओला मिनरल इन्डस्ट्रीज के नाम से चल रहा है जिसका संचालन कर्ता तथा प्रबन्धक ओमप्रकाश बुढ़िया एवं अभिषेक बुढ़िया है इनका निवास स्थान - ओला है इस फैक्ट्री में प्रति दिन नदी से लोयर गाँव के रास्ते ट्रेक्टर द्वारा बालू लाकर स्टॉक किया जा रहा है फैक्ट्री के अन्दर लगभग 80 ट्रेक्टर से ज्यादा अवैध बालू स्टॉक किया गया है इस बालू को Quartz stone (सफेद पत्थर) और कई तरह के पत्थर के साथ मिला कर पीसा जाता है और इसी का विषैला डस्ट प्रति दिन हवा में उड़ कर पुरे गाँव एवं पर्यावरण को दुषित कर रहा है यह डस्ट इतना जहरीला है कि यहाँ के मजदूर महिला, पुरुष बच्चे बुढ़े और गाय बकरी मुर्गी आदी सभी जीव जन्तु को स्वांस सम्बंधित बिमारी से रही है और इस गाँव पंचायत के सैकड़ो मजदूरों एवं ग्रामीणों की मृत्यु भी हो चुकी है वर्तमान समय में कुछ मजदूर तथा ग्रामीण स्वांस सम्बंधित बिमारी से ग्रसीत है जिनका इलाज चल रहा है फैक्ट्री के विषैले प्रदुषण के कारण मृतक के परिजन एवं बिमार व्यक्तियों को प्रबन्धक द्वारा किसी प्रकार का मुवावजा तथा दवा भी नही दिया जाता है जब यहाँ के मजदूरों एवं ग्रामीणों को यह जानकारी हुवी कि Quartz stone के इस विषैले प्रदुषण (डस्ट) के कारण स्वांस सम्बंधित बिमारी हो रही है और लोग एक दो वर्ष बाद मर जा रहे हैं, तब से यहाँ के लोग फैक्ट्री में काम करना बंद किये और वर्तमान समय में फैक्ट्री प्रबन्धक द्वारा बाहर से बंगला देशी रोहंगीया मुसलमानों को ला कर काम करवा रहे हैं जब फैक्ट्री प्रबन्धक को एक दो वर्ष में पता चलता है कि मजदूर बिमार हो रहे हैं तब काम से निकाल दिया जाता है और फिर गुंडा किस्म के रोहंगीया मुसलमानों को लाया जाता है इस गुण्डों के द्वारा यहाँ के महिलाओं को जबरन फैक्ट्री में काम करने को बुलाया जाता है विरोध करने पर इन महिलाओं के साथ रोहंगीया मुसलमान छेड़ खानी करते है या फैक्ट्री प्रबन्धक के द्वारा झुठा मुकदमा में फसाने का धमकी देते है प्रदुषण को लेकर कोई भी व्यक्ति बोलता है तो झुठा आरोप लगाकर मुकदमा कर देता है। इस फैक्ट्री से लगभग 50 मीटर [illegible] के पढ़ने वाले बच्चे भी विषैले प्रदुषण की चपेट में आ रहे हैं फैक्ट्री से जो कचड़ा निकलता है उसे [illegible] NH23 सड़क किनारे और नदी के किनारे फेंक दिया जा रहा है और इस नदी का [illegible] स्वच्छ पानी को प्रदुषित किया जा रहा है और [illegible] के लोग पीते है इस फैक्ट्री के वजह से जल वायु मिट्टी [illegible] पूरे [illegible] प्रखण्ड के लोग [illegible] होते जा रहे हैं। NH23 [illegible] प्रदुषित हो रही है यहाँ के [illegible] के बावजूद यह फैक्ट्री [illegible] सड़क के [illegible] आबादी [illegible] रहते आ रहे हैं यह एक गम्भीर [illegible] समस्या है यहाँ के [illegible]

अतः श्रीमान से निवेदन है कि [illegible] फैक्ट्री प्रबन्धन पर कानूनी कार्यवाही करते [illegible] [illegible]

[illegible]

(8)

सेवा में,
श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, गोला

विषय:- मेसर्स गोला मिनरल इन्डस्ट्रीज से प्रदूषण के कारण मृत्यु तथा उचित रूप से बालू ला कर स्टॉक करने के सम्बन्ध में,

महाशय,

उपरोक्त लिखित विषय के आलोक में सूचित करते हुये कहना है कि ग्राम-लोआर NH23 सड़क किनारे एक फैक्ट्री मेसर्स गोला मिनरल इन्डस्ट्रीज के नाम से चल रहा है जिसका संचालन कर्ता तथा प्रबन्धक ओमप्रकाश बुधिया एवं अभिषेक बुधिया हैं इनका निवास स्थान गोला है। इस फैक्ट्री में प्रति दिन नदी से लोआर गाँव के रास्ते ट्रैक्टर द्वारा बालू ला कर स्टॉक किया जा रहा है फैक्ट्री के अन्दर लगभग 50 ट्रैक्टर से ज्यादा अवैध बालू स्टॉक किया गया है इस बालू को Quartz Stone (सफेद पत्थर) और कई तरह के पत्थर के साथ मिला कर पीसा जाता है और इसी का विषैला डस्ट प्रति दिन हवा में उड़ कर पूरे गाँव एवं पर्यावरण को दूषित कर रहा है यह डस्ट इतना जहरीला है कि यहाँ के मजदूर महिला पुरुष बच्चे बूढ़े और गाय बकरी मुर्गी आदि सभी जीव जन्तु को श्वास सम्बन्धित बिमारी हो रही है और इस गाँव पंचायत के सैकड़ों मजदूर की मृत्यु हो चुकी है वर्तमान समय में कुछ मजदूर तथा ग्रामीण श्वास सम्बन्धित बिमारी से ग्रसित हैं जिनका इलाज चल रहा है फैक्ट्री के विषैले प्रदूषण के कारण मृत एवं बिमार व्यक्तियों को प्रबन्धक द्वारा किसी प्रकार का मुआवजा तथा दवा भी नहीं दिया जाता है। जब यहाँ के मजदूरों एवं ग्रामीणों को यह जानकारी हुवी कि Quartz Stone के इस विषैले प्रदूषण (डस्ट) के कारण ही श्वास सम्बंधित बिमारी हो रही है और लोग एक दो वर्ष में ही मर रहे हैं तब से यहाँ के लोग फैक्ट्री में काम करना बन्द कर दिये। और वर्तमान समय में फैक्ट्री प्रबन्धक द्वारा बाहर से बंगला देशी रोहंगीया मुसलमानों को ला कर काम करवा रहे हैं जब फैक्ट्री प्रबन्धक को एक दो वर्ष में पता चलता है कि मजदूर बिमार हो रहे हैं तब काम से निकाल दिया जाता है और फिर गुंडा किस्म के रोहंगीया मुसलमानों लाया जाता है इन गुन्डों के द्वारा यहाँ के महिलाओं को जबरन फैक्ट्री में काम करने को बुलाया जाता है विरोध करने पर इन महिलाओं के साथ रोहंगीया मुसलमान छेड़खानी करते हैं या फैक्ट्री प्रबन्धक के द्वारा झूठा मुकदमा भी कर दिया जाता है, इस फैक्ट्री से लगभग 40 मीटर की दूरी पर रा० उ० म० विद्यालय है, यहाँ के सभी बच्चे विषैले प्रदूषण से बिमारी के चपेट में आ रहे हैं। फैक्ट्री से जो कचरा निकलता है उसे ट्रैक्टर के माध्यम से NH23 सड़क के किनारे और नदी के किनारे फेंक दिया जा रहा है और नदी के स्वच्छ पानी दूसित हो रही है। इस प्रदूषण से जल, वायु, मिट्टी, प्रदूषित हो रही है। NH23 सड़क से सटे हुवे एवं घनी आबादी रहने के बावजूद यह फैक्ट्री पदाधिकारी के सहयोग से चल रही है। इस गाँव की आबादी धीरे धीरे घटती जा रही है यहाँ के गरीब ग्रामीण इस प्रदूषण से बहुत परेशान हैं।

अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि जाँच पड़ताल कर फैक्ट्री प्रबन्धक पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा प्रदान करें इस कार्य हेतु हम सभी ग्राम वासी आपका सदा आभारी रहेंगे।

संलग्न अनुलग्नकों की सूची
(1) बच्चे की फोटो का फोटो
(3) उड़ता हुआ डस्ट का फोटो
(4) प्रशासन द्वारा दिया गया आवेदन की फोटो कॉपी

प्रतिलिपि
पुलिस अधिक्षक महोदय, रामगढ़

आपका विश्वासी
ग्रामीण

[signature]

मुखिया, ग्राम पंचायत ...
प्रखण्ड-गोला, जिला-रामगढ़
मो० नं० 9934159378

14/07/18

(1)

दैनिक भास्कर रामगढ़ 29-09-2022

आईपीएल फैक्ट्री के प्रदूषण से आसपास के कई गांव चपेट में : बिनू कुमार महतो

भास्कर न्यूज | रामगढ़

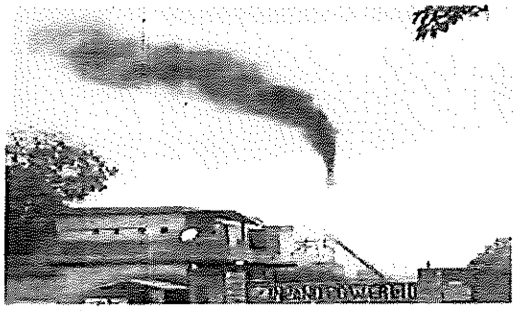

आई पीएल फैक्ट्री से निकलता जहरीला गैस।

गोला प्रखंड क्षेत्र के कमता स्थित ब्रह्मपुत्र मेटालिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी व टोनागातु स्थित इनलैंड पावर प्लांट से निकलते जहरीले धुएं से प्रखंड क्षेत्र की आधी आबादी प्रदूषण की चपेट में पूर्ण रूप से आ चुकी है। जिससे तरह-तरह की बीमारियां लोगों के बीच फैल रही है। रामगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सह आजसू पार्टी के नेता बिनू कुमार महतो ने उपायुक्त को आवेदन देते हुए कहा है कि फैक्ट्री के चिमनियों से निकलते धुएं से प्रदूषण के चपेट में लोग तो आ ही रहे हैं।जहां-तहां छाय (डस्ट) को फेंक दिया जा रहा है। जिससे टीबी, कैंसर, नपुंसकता, विकलांगता, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं पेड़ पौधे, सहित उपजाऊ भूमि प्रदूषण की चपेट में पुरे तरह से आ चुकी है। जिसका ताजा उदाहरण जांच कर देखा जा सकता है। बीएमएल व आईपीएल फैक्ट्री प्रबंधक द्वारा मोटी रकम देकर प्रदूषित क्षेत्रों को लूटने का काम एवं खुलेआम चुनौती देकर जनता की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। बिनू कुमार महतो ने रामगढ़ उपायुक्त से निष्पक्ष जांच कर गोला के जनता को प्रदूषण मुक्त कराने की बात कही है। साथ ही आईपीएल व बीएम एल फैक्ट्री प्रबंधक के ऊपर ठोस कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। दिये आवेदन पर दर्जनों लोगों के हस्ताक्षर हैं।जिसमें पंचायत के मुखिया अलका महतो, वार्ड सदस्य सुमित्रा देवी, राजेश कुमार महतो प्रेम लाल महतो, कारु मुंडा, रंजीत मुंडा, मनोज कुमार, बुधनी देवी, आकाश मुंडा, प्रवीण कुमार मुंडा, विक्की मुंडा, प्रकाश मुंडा, अनिल मुंडा, जयनाथ मुण्डा, राहुल कुमार, अभिषेक कुमार, आकाश कुमार, अनूप मुंडा, गोविंद महतो, सीता देवी, महेश मुंडा, लक्ष्मी कुमारी, सुमन देवी, बिरसाय महतो, सूरज मुण्डा आदि का हस्ताक्षर है।

बीएमएल व आईपीएल फैक्ट्री ने प्रदूषण फैलाने पर आजसू नेता बिनू कुमार महतो ने उपायुक्त को लिखा पत्र

आईपीएल टोनागातु ने लगातार प्रदूषण फैलाया जा रहा है : बिनू कुमार महतो

फ्रीडम फाइटर संवाददाता

गोला : रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड अंतर्गत ब्रह्मपुत्रा मेटालिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (आईपीएल) कामता एवं इन्लैंड पावर लिमिटेड (आईपीएल) टोनागातु द्वारा प्रखंड क्षेत्र की लगभग आधी आबादी पूर्ण रूप से प्रदूषण की चपेट में आ चुकी है। प्रदूषण के कारण तरह-तरह की संक्रमित बीमारियां फैल रही है। इस संबंध में रामगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सह आजसु वरिष्ठ नेता बिनू कुमार महतो ने कहा कि कम्पनी द्वारा अनधिकृत तौर पर जहां तहां राख (बर्निंग ऐश) को फेंक दिया जा रहा है, जिसके कारण क्षेत्र के लोगों के बीच स्वांस

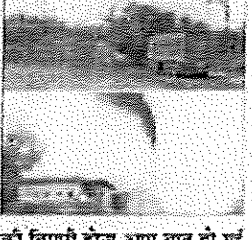

की बिमारी होना आम बात हो गई है। इसी के कारण टी.बी., कैंसर, नपुंसकता, विकलांगता तथा जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं पेड़ पौधे,फसलों योग्य भूमि प्रदूषण की चपेट में आ चुकी है। जिसका ताजा मामला जाँच कर देखा जा सकता है बीएमएल फैक्ट्री एवं आईपीएल फैक्ट्री प्रबंधक द्वारा मोटी रकम देकर प्रदूषित क्षेत्रों को लूटने का काम एवं खुलेआम चुनौती देकर जनता की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। साथ ही सरकार द्वारा सुरक्षा मानक का भी उपयोग नहीं किया जा रहा है। बिनू कुमार महतो ने कहा कि रामगढ़ उपायुक्त से गोला प्रखंड की तमाम जनता को हो रही प्रदूषण से मुक्ती चाहिए और साथ ही इसकी निष्पक्षता पुवर्क जाँच की जाय ताकि हम सब ग्रामीण जनता को न्याय मिल सके। बीएमएल फैक्ट्री एवं आईपीएल फैक्ट्री प्रबंधक के ऊपर ठोस कानूनी कार्रवाई की जाए। आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में पंचायत के मुखिया अलका महतो, वार्ड सदस्य सुमित्रा देवी, राजेश कुमार महतो, प्रेम लाल महतो,कारु मुंडा, रंजीत मुंडा, मनोज कुमार, बुधनी देवी, आकाश मुंडा, प्रवीण कुमार मुंडा, विक्की मुंडा, प्रकाश मुंडा, अनिल मुंडा, जयनाथ मुण्डा, राहुल कुमार ,अभिषेक कुमार, अकाश कुमार, अनूप मुंडा, गोविंद महतो, सीता देवी, महेश मुंडा, लक्ष्मी कुमारी, सुमन देवी, बिरसाय महतो, सूरज मुण्डा, मीणा देवी,ऐश्वर्या देवी, आशा देवी, नारायण मुंडा, डेमनाल मुंडा, लाल बिहारी महतो, इब्राहिम अंसारी, सुरेश महतो, रविंद्र महतो, दिनेश महतो, गौरी महतो, नंद किशोर कुमार, दिलीप कुमार महतो, कुलेश्वर महतो, विजय महतो एवं अन्य लोग शामिल है।

(10)

बीएमएल एवं आईपीएल फैक्ट्री द्वारा प्रदूषण पर उपायुक्त को लिखा पत्र : बिनू कुमार महतो

प्रभात मंत्र संवाददाता

गोला : रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र मेटालिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कामता एवं आईपीएल टोनागातू के द्वारा प्रखंड क्षेत्र की आधी आबादी प्रदूषण की चपेट में पूर्ण रूप से आ चुकी है जिससे तरह-तरह की संक्रमिता बीमारियां फैल रही है रामगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सह आजसू वरिष्ठ नेता बिनू कुमार महतो ने कहा कि और जहां तहां छाय (डस्ट) को फेंक दिया जा रहा है। जिससे टी.वी., कैंसर, नपुंसकता, विकलांगता, एवं जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं पेड़ पौधे,फसल योग भूमि प्रदूषण की चपेट में आ चुकी है जिसका ताजा उदाहरण जांच कर देखा जा सकता है बीएमएल फैक्ट्री एवं आईपीएल फैक्ट्री प्रवंधक द्वारा मोटी रकम देकर प्रदूषित क्षेत्रों को लूटने का काम एवं खुलेआम चुनौती देकर जनताओं की आवाज को दवाने का काम किया जा रहा है। साथ ही सरकार के द्वारा सुरक्षा मानक का भी उपयोग नहीं किया जा रहा है रामगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सह आजसू वरिष्ठ नेता बिनू कुमार महतो युवा टाइगर ने कहा कि रामगढ़ उपायुक्त महोदय से गोला प्रखंड की जनताओं को हो रही प्रदूषण से मुक्त चाहिए और साथ ही इसके निष्पक्षता पुवर्क जांच कर देखा जा सके हैं ताकि हम सब ग्रामीण जनता को न्याय मिल सके। बीएमएल फैक्ट्री एवं आईपीएल फैक्ट्री प्रवंधक के ऊपर ठोस कानूनी कार्रवाई की जाए।

बीएमएल व आईपीएल फैक्ट्री ने प्रदूषण फैलाने पर आजसू नेता बिनू कुमार महतो ने उपायुक्त को लिखा पत्र

आईपीएल टोनागातु ने लगातार प्रदूषण फैलाया जा रहा है : बिनू कुमार महतो

फ्रीडम फाइटर संवाददाता

गोला : रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड अंतर्गत ब्रह्मपुत्रा मेटालिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (आईपीएल) कामता एवं इन्लैंड पावर लिमिटेड (आईपीएल) टोनागातू द्वारा प्रखंड क्षेत्र की लगभग आधी आबादी पूर्ण रूप से प्रदूषण की चपेट में आ चुकी है। प्रदूषण के कारण तरह-तरह की संक्रमित बीमारियां फैल रही है । इस संबंध में रामगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सह आजसू वरिष्ठ नेता बिनू कुमार महतो ने कहा कि कम्पनी द्वारा अनधिकृत तौर पर जहां तहां राख (बर्निंग ऐश) को फेंक दिया जा रहा है, जिसके कारण क्षेत्र के लोगों के बीच स्वांस

की बिमारी होना आम बात हो गई है। इसी के कारण टी.वी., कैंसर, नपुंसकता, विकलांगता तथा जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं पेड़ पौधे,फसलों योग्य भूमि प्रदूषण की चपेट में आ चुकी है। जिसका ताजा मामला जाँच कर देखा जा सकता है बीएमएल फैक्ट्री एवं आईपीएल फैक्ट्री प्रबंधक द्वारा मोटी रकम देकर प्रदूषित क्षेत्रों को लूटने का काम एवं खुलेआम चुनौती देकर जनता की आवाज को दवाने का काम किया जा रहा है। साथ ही सरकार द्वारा सुरक्षा मानक का भी उपयोग नहीं किया जा रहा है। बिनू कुमार महतो ने कहा कि रामगढ़ उपायुक्त से गोला प्रखंड की तमाम जनता को हो रही प्रदूषण से मुक्ती चाहिए और साथ ही इसकी निष्पक्षता पुवर्क जाँच की जाए ताकि हम सब ग्रामीण जनता को न्याय मिल सके। बीएमएल फैक्ट्री एवं आईपीएल फैक्ट्री प्रबंधक के ऊपर ठोस कानूनी कार्रवाई की जाए। आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में पंचायत के [illegible] [illegible], वार्ड सदस्य सुमित्रा देवी, राजेश कुमार महतो, प्रेम लाल महतो,कारु मुंडा, रंजीत मुंडा, मनोज कुमार, बुधनी देवी, आकाश मुंडा, प्रवीण कुमार मुंडा, विक्की मुंडा, प्रकाश मुंडा, अनिल मुंडा, जयनाथ मुण्डा, राहुल कुमार ,अभिषेक कुमार, अकाश कुमार, अनूप मुंडा, गोविंद महतो, सीता देवी, महेश मुंडा, लक्ष्मी कुमारी, सुमन देवी, बिरसाय महतो, सूरज मुण्डा, मीणा देवी,ऐश्वर्या देवी, आशा देवी, नारायण मुंडा, डेमनाल मुंडा, लाल बिहारी महतो, इब्राहिम अंसारी, सुरेश महतो, रविंद्र महतो, दिनेश महतो, गौरी महतो, नंद किशोर कुमार, दिलीप कुमार महतो, कुलेश्वर महतो, विजय महतो एवं अन्य लोग शामिल है।

गोला में प्रदूषण के खिलाफ स्कूली बच्चों ने फैक्ट्री गेट के समक्ष किया प्रदर्शन

सत्यप्रकाश

गोला : गोला के कुसुमडीह स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने स्कूल में प्रदूषण के खिलाफ कामेश्वर एलॉयस फैक्ट्री गेट के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने फैक्ट्री से जहरीली गैस निकालना बंद करो के नारे लगाए। शिक्षकों एवं बच्चों ने बताया कि फैक्ट्री से प्रतिदिन जहरीली गैस निकलती है। जिससे स्कूल में पढ़ना मुश्किल हो गया है। प्रदूषण का सीधा असर उनके दिल और दिमाग में पड़ रहा है। प्रदूषण के कारण आंखों में जलन व सांस लेने में कठिनाई होती है। वहीं प्रधानाध्यापक सुबोध कुमार रवानी ने बताया कि विद्यालय में 116 बच्चे पढ़ते हैं। जबकि गांव की आबादी भी लगभग ढाई हजार के आसपास है। बच्चे हो या गांव वाले, इस फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषण से सभी लोग प्रभावित हैं। वह स्कूल कामेश्वर एलॉयस व एस एलॉयस फैक्ट्री के बीच में पड़ता है। प्रधानाध्यापक सहित पारा शिक्षक विष्णुदेव महतो एवं ग्रामीण छोटू महतो, नकुल प्रजापति, रामप्रवेश महतो, वासुदेव महतो ने फैक्ट्री प्रबंधन से प्रदूषण नियंत्रण यंत्र का प्रयोग करने की मांग की है।

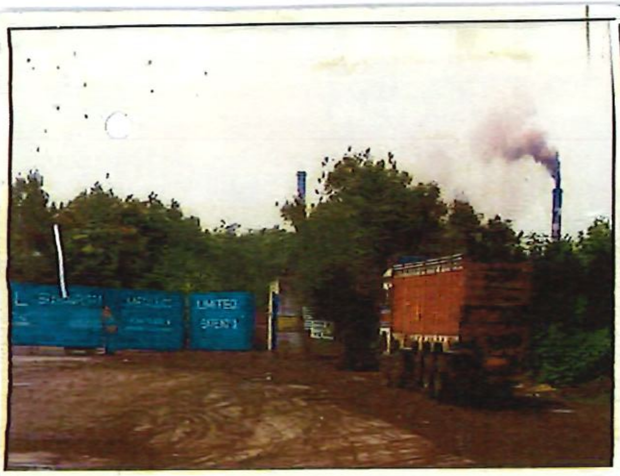

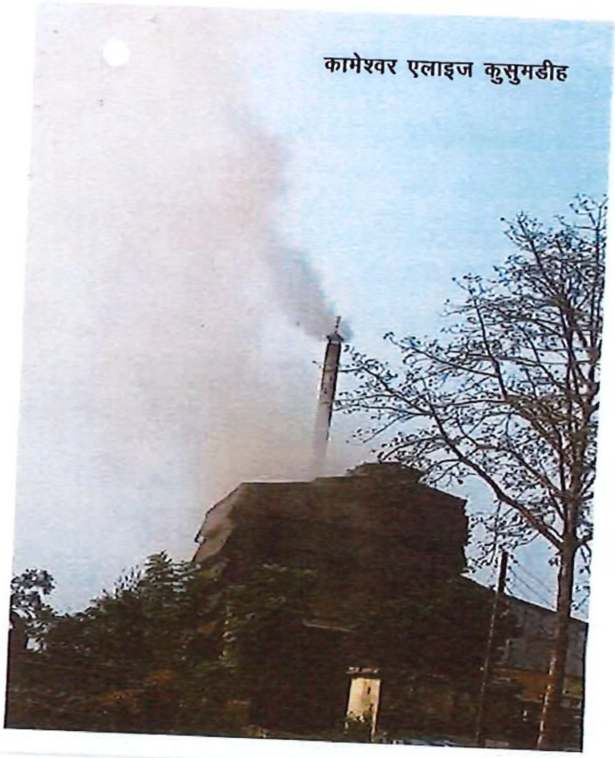
कामेश्वर एलाइज कुसुमडीह

मेसर्स गोला मिनरल इंडस्ट्रीज तोयर

Item No.02 Court No. 2

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 954/2024

Binu Kumar Mehto ...Applicant

Versus

State of Jharkhand ...Respondent

Date of hearing: 12.09.2024

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER**
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: None

ORDER

1. Binu Kumar Mehto claiming himself to be former candidate of Ramgarh Assembly, resident of village Raipur, P.O. Purabdih, Police Station Gola, District Ramgarh, Jharkhand has sent this letter petition to Tribunal which has been registered as Original Application (hereinafter referred to as **'OA'**) under Sections 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as **'NGT Act, 2010'**) in exercise of *suo-moto* jurisdiction in view of law laid down by Supreme Court in ***Municipal Corporation of Greater Mumbai Versus Ankita Sinha and Others, (2022) 13 SCC 401.***

2. At the outset, we have observed that applicant appears to possess all resources so as to approach Tribunal by filing a proper application in accordance with rules and in such matters, *suo moto* exercise of jurisdiction on a letter petition is not justifiable.

3. Be that as it may, we have gone through the complaint and the allegations are that certain industrial proponent namely M/s. BML Kamta, I.P.L. Tonagatu, Kameshwar Allies Kusumdih, Maa Ambe Allies Plant Kusumdih, M/s Gola Mineral Industrial Toyar, Vananchal Convent Pvt. Ltd. Bantara Goal are emitting toxic gases, smoke, causing air pollution and health hazard to the local people. In respect of some of the industries, residential and educational institutions are at a distance of 100 to 200 meters and these industries are in heavily populated area.

4. The complaint showed that the industries are located in different areas. However, in our view, the complaint at the first instance can be effectively addressed by District Administration and Statutory Regulator of State of Jharkhand and if they find any violation of environmental laws, effective action can be taken by them. Accordingly, we direct District Magistrate, Ramgarh and Jharkhand Pollution Control Board to jointly visit the site of the industries and find out whether the industries are operating in conforming areas and complying with the provisions of environmental laws. If they find any violation on the part of the project proponents, appropriate punitive, preventive, prohibiting and remedial action shall be taken in accordance with law.

5. District Magistrate, Ramgarh shall be the Nodal authority for co-ordination and compliance of this order.

6. The above exercise will be undertaken within one month and a compliance Report shall be submitted within next 15 days before Registrar, Eastern Zone Bench at Kolkata of this Tribunal. If any further orders is required, Registrar, Eastern Zone Bench at Kolkata of this Tribunal shall place the matter before Bench concerned.

7. Since the matter relates to Eastern Zone Bench at Kolkata. Registry is directed to transmit record of this application to Kolkata Bench for further proceedings.

8. With the above directions, this OA is disposed of.

Sudhir Agarwal, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

September 12, 2024
Original Application No. 954/2024
ag